मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2003 (फाल्गुन 22, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-6-2000-विक-पांच (10), दिनांक 5 फरवरी, 2003 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सदस्य, सिवनी जिले में धान की खरीदी उपयुक्त दर से न होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री राजेन्द्र भारती (दतिया), प्रभाकर सिंह, रसाल सिंह, सदस्य, प्रदेश में स्थानीय निकायों के अन्तर्गत जलवाहित शौचालयों के निर्माण में फर्जी भुगतान किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) ग्राम विसनौरी के मजरा मुर्ली का पुरा,
(ख) ग्राम लालबांस के मजरा सुकुलू का पुरा,
(ग) ग्राम किसरोली के मजरा पटियनपुरा उर्फ देवीपुरा,
(घ) ग्राम सेंथरी के मजरा धन्नू का पुरा,
(ङ) ग्राम भर्रा के मजरा छेड़िया,
(च) ग्राम बागचीनी के मजरा भैंसाई,
(छ) ग्राम चिन्नोनी करैरा के मजरा करैरा,
(ज) ग्राम टिकटोली गुर्जर के मजरा बगियापुरा,
(झ) ग्राम अगरोतर के मजरा नयापुरा एवं,
(ञ) ग्राम नरहेला के मजरा सरदारपुर, को राजस्व ग्राम बनाये जाने; तथा
(ट) ग्राम तोर के पास कुंवारी नदी पर पुल बनाये जाने,

(2) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल के तुलसी नगर क्षेत्र स्थित शासकीय आवास गृहों के पाईप लाईन बदले जाने; तथा

(3) श्री मुंशीलाल, सदस्य, सतना जिले के तहसील रामनगर अन्तर्गत ग्राम हिनोती के पण्डितान टोला स्थित श्री तिलकधारी कोटवार के मकान से सरकारी नाले तक सड़क बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 14 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री बाला बच्चन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश धूम्रपान निषेध विधेयक, 2003 (क्रमांक 15 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री राजा पटैरिया, तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन मंत्री, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 16 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

6. वर्ष 2002-2003 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

2 घन्टे

" दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 55, 56, 58, 60, 64, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 82, 86 तथा 88 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चौदह सौ छब्बीस करोड़, पचास लाख, छप्पन हजार, आठ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 (क्रमांक 17 सन् 2003) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. वर्ष 2003-2004 के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

30 मि.	(1)	मांग संख्या - 32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व.
30 मि.	(2)	मांग संख्या - 14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय.

डॉ.ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 12 मार्च, 2003

---

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.